न्यायालय उप जिला कलेक्टर बाड़ीकुई जिला दौसा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए		
	1/92/2019 — 2019/00485 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जगराम पुत्र कन्हारी लाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15.9.20

फरियादी पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बड़ावाड़ा प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बड़ावाड़ा बालहेड़ा तह० बण्डावर जिला दौसा स्थित भूमि ख०नं० 304 रकबा 0.03 है० जो गै०मु० राता में अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करने हेतु पाबंद करने का निर्देश दिया।

प्रार्थी प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर वलदी अप्रार्थीगण को नोटिस जारी की गई, अप्रार्थीगण के हाजिर न होने से एकतरफा कार्यवाही एकपक्षीय की गई।

हमने प्रार्थी वकील की बहस सुनी, प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण का अवलोकन किया विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के स्व० पिता मांगू पुत्र कीरपाल के नाम दर्ज रिकार्ड है भूमि ख०नं० 304 रकबा 0.03 है० किस्म गै०मु० राता दर्ज है जो आबादी की भूमि होना प्रकट है रिकार्ड में दर्ज गै०मु० राता की भूमि पर अप्रार्थीगण को प्रतिबंधित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण विवादित भूमि ख०नं० 304 रकबा 0.03 है० किस्म गै०मु० राता ग्राम बड़ावाड़ा बालहेड़ा तह० बण्डावर जिला दौसा पाबंद नहीं होने से खारिज किया जाता है। नाइ नकियल कोर्ट शुमार होकर नम्बर पत्र कम होकर हमेशा फिल भूतल बोर्ड रहे।

निर्णय सुनाया गया।

(विकी मीणा) RAS
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner